जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु

(9)

3654

कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, बदायूँ
20 SEP 2024

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–रिट28 / सात–न्याय–3–2024–10 रिट / 2024
न्याय अनुभाग–3 (नियुक्तियाँ)
लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं से सम्बन्धित विविध कार्य किये जाने के सम्बन्ध में नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा–8 के अन्तर्गत नोटरियों के कृत / कार्य निम्नलिखित हैः–

(1) नोटरी अपने पद के आधार पर निम्नलिखित में से सभी या कोई कार्य कर सकता है, अर्थातः–

(क) किसी लिखत के निष्पादन को सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना;

(ख) किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र को प्रतिग्रहण के लिए या संदाय के लिए प्रस्तुत कर सकना या अधिक अच्छी प्रतिभूति की मांग कर सकना;

(ग) किसी वचनपत्र, हुण्डी या विनिमयपत्र के अप्रतिग्रहण के लिए या असंदाय द्वारा अनादर को नोट करना या उसका प्रसाक्ष्य करना या अधिक अच्छी प्रतिभूति के लिये प्रसाक्ष्य करना या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन आदर का कार्य तैयार करना, या ऐसे नोट या प्रसाक्ष्य की सूचना तामील करना;

(घ) पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट करना और लेखबद्ध करना;

(ङ) किसी व्यक्ति को शपथ देना या उससे शपथ पत्र लेना;

(च) बाटमारी और जहाजी माल बन्धपत्र, पोत भाटक पत्र और अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज बनाना;

(छ) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिये आशयित किसी दस्तावेज को ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप है जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन आशयित है, तैयार करना, अधिप्रमाणित या अनुप्रमाणित करना;

(ज) एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी दस्तावेज का अनुवाद करना और ऐसे अनुवाद को सत्यापित करना;

(जक) यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाये तो, किसी सिविल या दांडिक विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये आयुक्त के रूप में कार्य करना;

(जख) यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, मध्यस्थ, बिचौलिया या सुलहकार के रूप में कार्य करना;

(झ) कोई अन्य कार्य करना जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य उस दशा में सिवाय जब वह नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और पदीय मुद्रा के साथ किया गया है, नोटरी का कार्य नहीं समझा जाएगा

2– नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा–8 में प्रदत्त कृत / कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे विवाह सम्बन्धी दस्तावेजों को नोटरीकृत नहीं किये जायेंगे तथा ऐसा कार्य संज्ञानित होने पर शासन स्तर / राज्य सरकार द्वारा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

विनोद सिंह रावत
प्रमुख सचिव।

अवलोकित। पत्र की प्रति जनपद की समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे तथा एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

[illegible]
20/9/24

संख्या–रिट28 (1)/सात–न्याय–3–2024 तददिनांक।

(1) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

19/9/2024

(निकुंज मित्तल)
विशेष सचिव।